



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

अधिशारी अभियन्ता (परिचालन एवं अनुरक्षण) कार्यालय

परिचालन एवं अनुरक्षण खण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून-248001

दूरभाष सं0 7088117550 ईमेल :- rajeshguptaptcul@gmail.com

पत्रांक / परि0एवंअनु0/दो0दून/निविदा

दिनांक

ई-निविदा सूचना

परि0एवंअनु0, मण्डल कार्यालय, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा अनुमती फर्मों/ठेकेदारों से निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र शुल्क ₹0 295/- प्रति सेट जी0एस0टी0 सहित (अप्रतिदेय) तथा घरोहर धनराशि ₹0 10800.00 एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में "अधिशारी अभियन्ता, 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 औ0 खण्ड, झाझरा, देहरादून" (Executive Engineer, 220 kV O&M Audhogik Khand, Jhajhra, Dehradun) के नाम (एक वर्ष के लिए प्रतिभूत) देय होगी।

निविदा संख्या- 01/ अधि0 अधि0 (परि0एवंअनु0)/ झाझरा/ पिटकुल/दो0दून/2020-21: 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 औ0 खण्ड, झाझरा, देहरादून के अन्तर्गत 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपखण्ड, झाझरा में सहायक अभियन्ता हेतु लाईनों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए 01नग डीजल घालित वाहन, घालक सहित 01 वर्ष के लिए।

निविदा संख्या- 02/ अधि0 अधि0 (परि0एवंअनु0)/ झाझरा/ पिटकुल/दो0दून/2020-21: 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 औ0 खण्ड, झाझरा, देहरादून के अन्तर्गत 132 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपखण्ड, बिन्दाल में सहायक अभियन्ता हेतु लाईनों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए 01नग डीजल घालित वाहन, घालक सहित 01 वर्ष के लिए।

निविदा संख्या- 03/ अधि0 अधि0 (परि0एवंअनु0)/ झाझरा/ पिटकुल/दो0दून/2020-21: 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 औ0 खण्ड, झाझरा, देहरादून के अन्तर्गत 132 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपखण्ड, पुरुकुल में सहायक अभियन्ता हेतु लाईनों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए 01नग डीजल घालित वाहन, घालक सहित 01 वर्ष के लिए।

उक्त ई-निविदाएं वेबसाइट www.uktenders.gov.in से दिनांक 14.01.2021 से दिनांक 15.02.2021 तक डाउनलोड व ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं। निविदा की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 16.01.2021 को 12.00 बजे तक है। जिसे दिनांक 16.01.2021 को 15.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदा सूचना पिटकुल की वेबसाइट www.ptcul.org से प्राप्त की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं कार्य की मात्रा घटाने/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

अधिशारी अभियन्ता

"संप्रति में ऊर्जा बढ़ाये"